



डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०) टिक्की : ५१७ 2020

संख्या : लो०आ०वि० / सम्ब० / 2020 / 1866

दिनांक : ९-८- 2020

2020

सेवा में,

- प्र० राजीव मनोहर किमाय— भौतिक विज्ञान, लखनऊ प्रश्नविद्यालय लखनऊ।
 - डॉ० आरक्षे० सिंह, पुरताळीविद्यालय, डॉ० रामनोहर लोहिता अवध विश्वविद्यालय अयोध्या।
 - डॉ० शिवम श्रीवारतव, शिक्षा शास्त्र विभाग, किसान पीठीजी०कालेज बहराइच।
 - डॉ० इन्दू सिंह, जन्म विज्ञान विभाग, केएनआईपी०एस०एस० सुलतानपुर।
 - डॉ० गीता मेहरा प्राचार्या, राजकीय डिग्री कालेज हरख बाराकंडी।

- आचार्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- सदस्य / राचिव

महोदय / महोदया,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरूपानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

विन विन्डओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—

- महाविद्यालय को संबलित करने वाले रामिति के पंजीकरण एवं वैधता की रिथ्ति।
 - महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजरव अग्निलेखों में अकित होने से संबंधित खतोनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की रिथ्ति।
 - महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्ता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नवशा मूलरूप में सक्षम राजरव अधिकारी रो प्रमाणित होने की रिथ्ति, महाविद्यालय के नाम राजरव अग्निलेखों में अकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं क्षेत्रफल सहित अकित किया जाए।
 - महाविद्यालय को प्रदर्शन पाठ्यक्रम में अनापति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं रिथ्ति, अकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापति घिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, दबा उर्सी गाटों पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
 - महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवस्थित होने की रिथ्ति में संदर्भान्त निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिथ्ति।
 - सोसायटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संरक्षा की विगत तीन वर्षों की री०१० द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट अन्यथा की रिथ्ति में तहसीलदार द्वारा निगत प्रमाण पत्र।
 - मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बवत खाते में अद्यतन जगा धनराशि।
 - मानकानुसार प्रायमूल धनराशि जगा होने की रिथ्ति।
 - प्रबन्ध तत्र के द्वारा अपेदन पत्र में अकित विवरण/प्रविद्धियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की रिथ्ति।
 - स्थानकोपात्र विषयों हेतु यूजी०१०ी० की घारा २एफ ने पंजीकृत होने की रिथ्ति।
 - महाविद्यालय में पूर्व संवालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिथ्ति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
 - पूर्व संवालित पाठ्यक्रम/नाट्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निमानुसार विवरण सहित।
 - महाविद्यालय में पूर्व संवालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
 - महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय,अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिथ्ति।
 - फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथ्ति।
 - प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिथ्ति में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संपत्र होने की रिथ्ति (प्रयोगशाला की संख्या रहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, ऐस लाइन, रिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
 - मानकानुसार शिक्षाकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुपोदन एवं शिशुकों की संविदा अवधि।
 - याचिकापाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निमानुसार विवरण सहित।
 - महाविद्यालय में याचिका पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
 - महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिथ्ति।



डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

- c) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की विधि।
d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की विधि में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं रखापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की विधि
(प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, रिक इल्याडि होने की रपट आख्या।
e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविधा अवधि।
14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यूपीएस०.सी०पी०य० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की विधि।
15. प्रबन्ध संिहित के गठन व अनुमोदन की विधि।
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, बहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुरक्षित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर रामी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की विधि।
17. रामूहिक नक्ल का आरोप न होने की विधि(प्रमाण संलग्न करें)।
18. नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य एवं अव्यापकों के बेतन मुग्धतान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।
19. नेशनल विल्डिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अभियन्ता घासीण अभियन्त्रण सेवा का ही एवं अभियन्त्रण की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अव्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
20. निरीक्षक मण्डल के रादरसों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अण्डरटेकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।
21. निरीक्षण मण्डल के रादरसों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट संस्तुति (स्पाइ अथवा अस्थाई)।

उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (स्पाई) के आवेदन की विधि में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक हस्ताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक/संचिव के साथ तथा वीडियोग्राफी की सी०डी० को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

सन्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012टी०री० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। निरीक्षण न किये जाने की विधि में तत्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण निरीक्षण आख्या में अकिञ्चित किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की विधि में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित साझ्य निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा साझेति की दशा में आगामी तिथि निरिवेत की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निर्धारित व्यवधान-नुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्मत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्मत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/संचिव (क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नामित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निरीक्षणों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-6-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देश-नुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें टी०१०/डी०१० एवं अन्य व्यय सम्बलित हैं का गुणात्मक विश्वविद्यालय द्वारा बहुत किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी रादरस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अग्रिम संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट-उल्लिखित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गमीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से स्वयं अकिञ्चित की जाये।

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बन्धी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिकोण शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

भवदीय,

उप-कुलसंविध

प्रतिलिपि:- 1. प्रबन्धक/संचिव (गौंगायत्री राम सुख पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मरकनगर, गोण्डा) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क रखापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करे, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में रादरस्य प्रदान करने का कष्ट करें अन्यथा की विधि में सामर्त उत्तरादायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्राम, ई०डी०पी० रोल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लॉग-इन पर अपलोड करन का कष्ट करें।

उप-कुलसंविध
[Signature]